INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

ACC Name: PANKAJ SHARMA
ACC Code: UP14000904
Licence No. 355
Add: Ch. No. 17-A, Tehsil Ghaziabad

₹18,00,000

Base Certificate No.	:	IN-UP41093029242948V
Certificate No.	:	**IN-UP57565528994342V**
Certificate Issued Date	:	14-Mar-2023 04:22 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14000904/ GHAZIABAD/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14000904085755678655 30V
Purchased by	:	COFMOW CO OPRATIVE HOUSING SOCIETY LTD
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	PLOT NO-3/SP-10 SIDDHARTH VIHAR SCHEME GHAZIABAD
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Second Party	:	COFMOW CO OPRATIVE HOUSING SOCIETY LTD
Stamp Duty Paid By	:	COFMOW CO OPRATIVE HOUSING SOGIETY LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	18,00,000 (Eighteen Lakh only)

सत्यमेव जयते

Verified By
Registration Clerk
Ghaziabad
Locked By
Subristrar-V
Ghaziabad

Please write or type below this line

यह स्टाम्प पेपर **काफमो सहकारी आवास समिति लि0 गाजियाबाद** को भूमि समायोजन उपरान्त आवंटित सोसाईटी भूखण्ड संख्या–3/एस0पी0–10 के विकास शुल्क के किराया किश्त क्रय अनुबन्ध के साथ संलग्न किया गया हैं।

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमो सहकारी आवास समिति लि॰

JD 0040446944

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL

रजिस्ट्रार

ACC Name: PANKAJ SHARMA
ACC Code: UP14000904
Licence No. 355
Tehsil Ghaziabad

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP41093029242948V
Certificate Issued Date	:	21-Feb-2023 05:29 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14000904/ GHAZIABAD/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1400090475411917008462V
Purchased by	:	COFMOW CO OPRATIVE HOUSING SOCIETY LTD
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	PLOT NO-3/SP-10 SIDDHARTH VIHAR SCHEME GHAZIABAD
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Second Party	:	COFMOW CO OPRATIVE HOUSING SOCIETY LTD
Stamp Duty Paid By	:	COFMOW CO OPRATIVE HOUSING SOCIETY LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,25,88,730 (One Crore Twenty Five Lakh Eighty Eight Thousand Seven Hundred And Thirty only)

Please write or type below this line

उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद

सोसाईटी भूखण्ड के विरूद्ध विकास शुल्क का किश्त कय अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक ....03.... माह....03.... वर्ष 2023 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है, और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतत्पश्चात 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अर्न्तगत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समुदेशिती भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिती भी है माध्यम से होता है।

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमो सहकारी आवास समिति लि०

0020135102

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL

सब रजिस्ट्रार

[2 -]

एक पक्ष और **काफमो सहकारी आवास समिति लि0 गाजियाबाद जो उ0प्र0 सहकारी अधिनियम 1965 के तहत धारा–06 के अधीन गठित एक समिति है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 200 तृतीय तल, पाकेट–40, चितरंजन पार्क नई दिल्ली 110019 पर स्थित है, द्वारा संकल्प दिनांक 26.02.2023 के द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी समिति के सचिव श्री तोषिन्दर सिक्का पुत्र श्री श्याम सुन्दर सिक्का निवासी–21, शरद विहार, बी0टी0सी0 विकास नगर, एक्स0 दिल्ली 110092** जिसे एतत्पश्चात् किराया–किश्त केता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतत्पश्चात् यथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिती और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिती भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया है।

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमो सहकारी आवास समिति लि०

आवेदन सं०: 202300739020716

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

बही स०: 1 **रजिस्ट्रेशन स०: 2773** **वर्ष: 2023**

प्रतिफल- 205531228 स्टाम्प शुल्क- 14388730 बाजारी मूल्य - 205532000 पंजीकरण शुल्क - 2055320 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 2055400

श्री काफमो सहकारी आवास समिति लि० सचिव द्वारा
तोषिन्दर सिक्का अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री श्याम सुन्दर सिक्का
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 21, शरद विहार, बी०टी०सी० विकास नगर एक्स० दिल्ली-92

श्री, काफमो सहकारी आवास समिति लि० सचिव द्वारा तोषिन्दर सिक्का अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 21/03/2023
एवं 01:18:42 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ऋचा पाण्डेय .
उप निबंधक :सदर पंचम
गाजियाबाद
21/03/2023

विश्वास वर्मा .
निबंधक लिपिक
21/03/2023

प्रिंट करें

सब रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश

[3 -]

चूंकि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की **सिद्धार्थ विहार** योजना के अधीन किराया–किश्त केता ने स्वामी से भूमि के समायोजन उपरान्त किराया–किश्त कय योजना के अधीन **सोसाईटी भूखण्ड** का आवंटन करने के लिए प्रथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात निर्धारित निबन्धन और शर्तो पर किराया–किश्त केता को **सोसाईटी भूखण्ड** आवंटित करने की सहमति दे दी है।

और चूंकि सोसाईटी भूखण्ड संख्या–**3/एस0पी0–10** का विकास शुल्क है **रू0–17,98,38,965.00 (रू0–सत्तरह करोड अटठ्ाने लाख अडतीस हजार नौ सौ पैसठ मात्र)** होता है। सोसाइटी द्वारा देय विकास शुल्क की किश्तो का मांग पत्र संख्या 4920 दिनांक 09.08.2019 एवं संशोधित मांग पत्र 4679 दिनांक 5.11.2022 द्वारा जारी किया गया है। उप आवास आयुक्त सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग के पत्र संख्या–166 दिनांक 1.2.2023 के अनुपालन में किश्ते पुर्ननिर्धारण करते हुए मांग पत्र संख्या–1075 दिनांक 2.3.2023 द्वारा किया गया। जिसमें पूर्व निर्गत मांग पत्र की अवशेष धनराशि जोडते हुए कुल अवशेष रू0–20,55,31,228.00 की 04 छमाही किश्ते बनायी गयी है। जिसके अनुसार समिति द्वारा किश्तो का भुगतान किया जायेगा।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्द्वारा किराया–किश्त से प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया–किश्त केता भी एतद्द्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थात

सचिव
काफमो सहकारी आवास समिति लि०

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

आवेदन सं०: 202300739020716

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 2773 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री सुनील कुमार शर्मा, संपत्ति प्रबन्धक अधिकारी के द्वारा शिशुपाल सिंह , बाबूराम

निवासी: आवास विकास परिषद वसुन्धरा गाजियाबाद

व्यवसाय: नौकरी

क्रेता: 1

श्री काफमो सहकारी आवास समिति लि० सचिव के द्वारा तोषिन्दर सिक्का, पुत्र श्री श्याम सुन्दर सिक्का

निवासी: 21, शरद विहार, बी०टी०सी० विकास नगर एक्स० दिल्ली-92

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री राजिन्द्र सिंह सचदेवा, पुत्र श्री सतनाम सिंह सचदेवा

निवासी: ए-150, सूर्य नगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री विकास गोयल , पुत्र श्री राम किशन गोयल

निवासी: सी-801, अपेक्स ग्रीन वैली सेक्टर-9 वैशाली गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ऋचा पाण्डेय .
उप निबंधक : सदर पंचम
गाजियाबाद
21/03/2023

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

विश्वास वर्मा .
निबंधक लिपिक गाजियाबाद
21/03/2023

प्रिंट करें

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमो सहकारी आवास समिति लि.

[4 -]

1 किराया–किश्त–केता को **सोसाईटी भूखण्ड** के रूप में सम्पत्ति का, जिसकी संख्या–**3/एस0पी0–10 जिसका क्षेत्रफल 19735.00 वर्गमी0** है और जो **सिद्धार्थ विहार योजना** मे सेक्टर संख्या–**3** में स्थित है और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिए इसमें आगे दी गई अनुसूची–एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

2 किराया–किश्त क्रेता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में किराया–किश्त क्रय अवधि तक गृहीत करेगा जो **2 (दो)** वर्ष की नियत अवधि तक होगी अर्थात किश्त **वर्ष 2023** के **मई छमाही** के प्रथम दिनांक को प्रारम्भ होगी और **वर्ष 2025** के **अप्रैल माह** के **अन्तिम दिनाक** को समाप्त होगी।

3 किराया–किश्त क्रेता स्वामी की ओर से किसी मांग के बिना किराया–किश्त अवधि की समाप्ति तक प्रत्येक छमाही के प्रथम दिनांक को केवल **रू0–6,34,47,490.00 (रू0 छः करोड चौतीस लाख सैतालीस हजार चार सौ नब्बे मात्र)** की **18 प्रतिशत** ब्याज सहित **प्रथम छमाही किश्त** का भुगतान करेगा जोकि प्रत्येक छमाही की प्रथम दिनांक से अन्तिम दिनांक तक जमा की जा सकती है।

(क) किराया–किश्त–केता **रू0–6,34,47,490.00 (रू0 छः करोड चौतीस लाख सैतालीस हजार चार सौ नब्बे मात्र)** की छमाही किश्त की किसी मांग की प्रतीक्षा किए बिना उस माह के बाद जिसमें छमाही किश्त देय हो जाय, प्रत्येक त्रैमास के **प्रथम दिनांक** को स्वामी के कार्यालय में या निदिष्टि स्थान

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमो सहकारी आवास समिति लि.

उप रजिस्ट्रार प्रथम
गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश

पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया–किश्त केता द्वारा किया जायेगा और जिसे **माह मई 2023** की प्रथम किश्त के रूप में समझा जायेगा प्रथम किश्त का भुगतान **अक्टूबर 2023** के छमाही की अन्तिम तिथि तक करना होगा और ऐसा आगामी भुगतान **वर्ष 2024 के अप्रैल माह के अन्तिम दिनांक** को या उसके पूर्व प्रत्येक कलैण्डर मास के तुरन्त बाद किराया–किश्त कय की अवधि तक देय हो जाये या भुगतान योग्य हो जाये।

(क) किराया–किश्त केता को नियमानुसार भूमि मूल्य (विकास शुल्क) की 12 प्रतिशत धनराशि फ्रीहोल्ड शुल्क के रूप में निर्धारित तिथि तक देय होगी अथवा किराया–किश्त केता द्वारा भूमि मूल्य को 12 प्रतिशत धनराशि विकास शुल्क में समाहित है।

(ख) किराया–किश्त केता आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगर पालिका के या अन्य प्रकार के सभी करो, फीस, प्रभार, निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहण की धनराशि का, चाहें वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में भूस्वामी या किरायेदार को एतद्द्वारा किराये पर दी गई उक्त सम्पत्ति पर लगाई गई हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियो को भुगतान करेगा। किराया–केता स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय–समय पर उदग्रहीत कर दिया जाये, भुगतान करेगा।

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमा सहकारी आवास समिति लि०

दफ्तर सब रजिस्ट्रार प्रथम गाजियाबाद • उत्तर प्रदेश •
सत्यमेव जयते

परन्तु किराया–किश्त केता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी को ऐसी देय धनराशि को भू–राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मान्य होगा।

(ग) किराया–किश्त केता उक्त सम्पत्ति के साथ–साथ सम्भरण, जल निस्तारण, बिजली और किन्ही ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानो की मरम्मत (जिस पद के अर्न्तगत सामान्य, और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी है) स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करें, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में रखेगा।

(ध) किराया–किश्त केता स्वामी की लिखित अनुमति के बिना उक्त सम्पत्ति की भीतरी किसी भी प्रकार का व्यापार या कारोबार नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा या उसका आवासिक उपयोग से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा या उसमें कोई ऐसा कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य **सोसाईटी भूखण्ड** के अध्यासियों की या पड़ोसियों की राय में लोक–कण्टक हो और जो उस प्रोजन के अनुरूप न हो जिसके लिए योजना बनाई गई।

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमो सहकारी आवास समिति लि०

सब रजिस्ट्रार फूलपुर प्रयागराज
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

(ड़) किराया–किश्त केता एतद्द्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित प्राधिकृत किन्ही व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने और मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो स्वामी किराया–किश्त केता के खर्च पर करवा सकता है और किराया–किश्त केता एतद्द्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित नियम करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता हैं

(च) किराया–किश्त केता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारो के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप–लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिए कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगने के प्रयोजन के साथ–साथ उक्त सम्पत्ति मे बिछाई गई किसी सर्विस लाइन से किन्ही अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(छ) किराया–किश्त केता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा।

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमी सहकारी आवास समिति लि०

रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद
प्रदेश

परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिए ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ज) किराया–किश्त केता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा।

परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थित अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनो और शर्तो से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातो के लिए स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समुनुदेशन या अन्तरण वैद्य या अनुमन्य नहीं होगा जहॉ समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

(झ) किराया–किश्त केता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमे नीचे दी गयी अनुसूची–दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा।

सचिव
काफमी सहकारी आवास समिति लि०

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सब रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

(ट) किराया–किश्त केता इस योजना के अधीन उस पर आने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वो का निर्वहन करेगा जो इस विलेख का अंग समझे जायेगें और जिसके बारे में इस अनुबन्ध पत्र के पक्षकारो के बीच एतद्द्वारा सहमति है।

(ठ) उक्त सम्पत्ति में किराया–किश्त केता के हित के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया–किश्त केता एतद्द्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता।

(ड) किराया किश्त केता किसी भी प्रकार की दुर्धटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुंचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्द्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है।

परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया–किश्त केता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि **सोसाईटी भूखण्ड** उपयोग के कारण उचित टूट–फूट को छोड़कर उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में, किराया–किश्त केता का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन का पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिए आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग बल जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अनिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमां सहकारी आवास समिति लि॰

उप रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

(ढ़) किराया किश्ता केता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिती को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति मे, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में **सोसाईटी भूखण्ड** के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहें, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया–किश्त केता की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायो के प्रति किराया किश्त केता के समस्त विद्यमान दायित्वो और बाध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया–किश्त केता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है।

परन्तु किराया–किश्त केता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर किराया–किश्त केता के वारिस/वारिसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हितकारी /हिताधिकारी के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(ण) किराया–किश्त केता सभी देयो का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा किश्तो के भुगतान के लिए उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी।

सचिव
काफमां सहकारी आवास समिति लि०

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
वसुन्धरा, गाजियाबाद

उप रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

यह किश्त मे सम्मलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त **18+2 प्रतिशत** प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। यदि भुगतान–छूट की अवधि के भीतर न किया जाये तो किराया किश्त केता तनुसार किश्तो के वस्तुतः देय होने के दिनाकं से **18 प्रतिशत** प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। लगातार तीन से अधिक किश्तो का भुगतान करने में व्यक्ति कम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और केता को बेदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय सभी बकाया धनराशि को भू–राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा। किराया किश्त केता का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनैक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा।

(त) यदि किराया–किश्त केता सम्पत्ति या साझा भावा या साझा सेवाओ का उपयोग इस एंगल से करता है कि उसे क्षति पहुंचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिए उसका उपयोग हो, तो किराया–किश्त केता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिए स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रकार का भुगतान करेगा।

सचिव
काफमो सहकारी आवास समिति लि०

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सब रजिस्ट्रार प्रथम
गाजियाबाद
प्रदेश

(थ) यदि किराया–किश्त क्रेता किराया–किश्त क्रय की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्द्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिए स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयो के साथ–साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया–किश्त क्रेता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त करने के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा।

(द) इसमें इसके पूर्व दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई जॉच की जाएगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षें की सुनवाई के पश्चात् यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा, किराया–किश्त क्रेता द्वारा **सोसाईटी भूखण्ड** के आवंटन के लिए उसके द्वारा दिये गये आवेदन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्ही सारवान तथ्यों को छिपाया गया हो तो स्वामी के लिए किराया किश्त क्रेता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधिपूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा और किराया–किश्त क्रेता द्वारा इस प्रकार जमा की गई धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा।

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमां सहकारी आवास समिति लि०

रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

[13 -]

(ध) स्वामी एतद्द्वारा सहमत है कि किराया–किश्त केता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गई सभी शर्तो को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विध्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा। इसमें इसके पूर्व दी गई किसी बात के होते हुए भी किरायेदार एत्दद्वारा किराया–किश्त कय के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के प्रतिकर में वृद्धि होने के कारण, या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल मे वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतद्पश्चात् विनिश्चय किया जाये, कोई वृद्धि होने से उसका भुगतान करने के लिए सहमत है ऐसा भुगतान व्यथ में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जायेगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

(न) उक्त भूखण्ड का किराया–किश्त केता एतद्द्वारा आवंटन के दिनांक से नियमानुसार भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुर्नग्रहण किया जा सकेगा। किराया–किश्त केता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करायेगा।

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमी सहकारी आवास समिति लि०

सब रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश

[14 -]

4 स्वामी एतद्द्वारा किराया–किश्त क्रेता को किराया किश्त क्रय की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायो को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया किश्त क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा–5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किए जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धो के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का पटट्ेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।

5 हस्तान्तरण विलेख सामान्यतः स्वामी द्वारा किराया–किश्त क्रय की अवधि की समाप्ति के पश्चात् पूर्ण भुगतान/औपचारिकताये पूर्ण करने पर निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया–किश्त क्रेता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया–किश्त क्रेता स्वामी द्वारा, (जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गई संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करेगा।

सचिव
काफमी सहकारी आवास समिति लि०

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

उप रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

6 यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निवर्चन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेगें और किराया–किश्त केता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक–पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगां

7 किराया–किश्त केता सोसाईटी भूखण्ड पर नियमानुसार अनुमन्य समय के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूरा कराएगा।

8 प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शा आवंटी द्वारा परिषद के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

9 **सोसाईटी भूखण्ड** का एफ0ए0आर उपविधि के अनुसार अनुमन्य होगा।

10 विद्युत/ट्रांसफारमर का व्यय स्वयं केता को व्यय करना होगा।

11 **सोसाईटी भूखण्ड** के सम्वन्ध में समय–समय पर शासन/परिषद द्वारा बनाये गये नियम, आवंटन की तिथि से प्रभावी होंगे।

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमी सहकारी आवास समिति लि०

उप रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

12 समायोजन विलेख निष्पादित कराने का दायित्व किराया किश्त केता का होगा। उक्त विलेख में उल्लिखित नियमों व प्राविधानों में विक्रय विलेख के निष्पादन सम्बन्धी व्ययों का भुगतान विक्रय विलेख निष्पादन से पूर्व समय–समय पर बनाये गये शासन/ परिषद के नियम केता को मान्य होंगा।

13 शेष नियम व शर्ते समिति एवं अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के मध्य हुए अनुबन्ध दिनांक 01.06.2019 के अनुसार रहेगी।

14 समिति द्वारा निर्गत मांग पत्र के अनुसार देय विकास शुल्क पर जी0एस0टी0 धनराशि वित्त नियन्त्रक के पत्र सं0–562 दिनांक 3.1.2023 के साथ संलग्न ज्वाय मुखर्जी एण्ड एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पत्र दिनांक 26.12.2022 द्वारा दी गयी ओपिनियन के कम में नहीं जमा करायी गयी है, अंकेक्षण इत्यादि के उपरान्त भविष्य में अगर कोई देयता निकलती है, तो उसे समिति को नियमानुसार जमा कराना होगा।

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमां सहकारी आवास समिति लि०

रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद
प्रदेश

जिसके साक्ष्य में **श्री सुनील कुमार शर्मा, सम्पत्ति प्रबन्धक** ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और **काफमो सहकारी आवास समिति लि0 गाजियाबाद द्वारा संकल्प दिनांक 26.02.2023 के द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी समिति के सचिव श्री तोषिन्दर सिक्का पुत्र श्री श्याम सुन्दर सिक्का निवासी–21, शरद विहार, बी0टी0सी0 विकास नगर, एक्स0 दिल्ली 110092** के रूप में स्वेच्छा और सम्मति से किसी प्रभाव या प्रपीडन के बिना, साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

अनुसूची–एक

सिद्धार्थ विहार योजना **सैक्टर संख्या 3** में स्थित **सोसाईटी भूखण्ड** संख्या– **3/SP-10** सम्पूर्ण **सोसाईटी भूखण्ड** जिसमें क्षे0 **19735.00** व0मी0. भूमि समाविष्ट हैं

सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित हैं :–

उत्तर .... सलग्न

पूर्व .... साइट प्लान

दक्षिण .... के

पश्चिम.......... अनुसार

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमो सहकारी आवास समिति लि0

उप रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

र प्रदेश

अनुसूची–दो

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारो के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये:–

1–साक्षी :

1.हस्ताक्षर ....

2. नाम ....

3. पता ....

2–साक्षी :

1.हस्ताक्षर ....

2. नाम ....

3. पता ....

विकेता के लिए और उसकी ओर से

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सम्पत्ति प्रबन्धक
(कृते आवास आयुक्त)

1–साक्षी :

1.हस्ताक्षर ....

2. नाम Vikas Goel

3. पता C-801 Green valley GZB

2–साक्षी :

1.हस्ताक्षर ....

2. नाम Rajinder Singh Sachdeva

3. पता A-150 Surya Nagar GZB

केता के लिए और उसकी ओर से

सचिव
काफमो सहकारी आवास समिति लि०

1. हस्ताक्षर.................... ....

2. नाम – काफमो सहकारी आवास समिति लि0 गाजियाबाद द्वारा संकल्प दिनांक 26.02.2023 के द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी समिति के सचिव श्री तोषिन्दर सिक्का पुत्र श्री श्याम सुन्दर सिक्का निवासी–21, शरद विहार, बी0टी0सी0 विकास नगर, एक्स0 दिल्ली 110092

उप रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश

अनुसूची–तीन

(किराया–किश्त क्रय अनुबन्ध का अनुलग्नक)

किराया–किश्त क्रय के उपबन्ध

1 यह उपबन्ध किराया–किश्त केता पर लागू होगें जो और जिसके साथ–साथ उसके **सोसाईटी भूखण्ड** का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक–पृथक उनका पालने करने के लिए उत्तरदायी होगें।

2 किराया–किश्त केता अपने **सोसाईटी भूखण्ड** के भीतर कूडे, रददी कागजो, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री कूडा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओ को इकटठ्ा करने के लिए एक पात्र (कूडादार) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।

3 ऐसे पात्र में पड़ हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखराए बिना इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर हटायेगा।

4 स्नान घर और शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूडा–करकट, रददी कागज, बुहारन या इसी प्रकार चीजो से रूकने न पायें।

5 किसी कूडादान या कचरा रखने की पेटी को किराया–किश्त केता के **सोसाईटी भूखण्ड** के बाहर या गलियारे या रास्ते में नहीं रखा जायेगा।

6 भवन के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमां सहकारी आवास समिति लि॰

दफतर सब रजिस्ट्रार प्र… गाजियाबाद

7 किराया किश्त केता के **सोसाईटी भूखण्ड** या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग मे कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास–पडोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।

8 **सोसाईटी भूखण्ड** के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिए नहीं किया जायेगा।

9 भवन के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैंस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।

10 प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।

11 प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसके किसी से कोई बिगाड़ने न पायें।

12 सम्पत्ति का दुरूपयोग जैसे साझा गलियारो, साझा रास्ता, सीढ़ियों, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।

13 परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियो के निर्बाध आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

14 उपर्युक्त किसी भी उपबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंधन करना होगा और परिषद ऐसे उल्लंधन के लिए किराया किश्त केता के विरूद्व उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

सचिव
काफमी सहकारी आवास समिति लि०

सब रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

फोटो प्रपत्र

बही नं0	जिल्द	पृष्ठ सं0	लेखपत्र सं0	निबन्धन दिनांक	
					पक्षकारो के फोटो

नामः–

पताः–स0प्र0 कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, हॉल संख्या–एस–1, सेक्टर–16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स, वसुन्धरा गाजियाबाद, (उ0प्र0) पिन नं0–201012

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

काफमो सहकारी आवास समिति लि0 गाजियाबाद जो उ0प्र0 सहकारी अधिनियम 1965 के तहत धारा–06 के अधीन गठित एक समिति है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 200 तृतीय तल, पाकेट–40, चितरंजन पार्क नई दिल्ली 110019 पर स्थित है, द्वारा संकल्प दिनांक 26.02.2023 के द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी समिति के सचिव श्री तोषिन्दर सिक्का पुत्र श्री श्याम सुन्दर सिक्का निवासी–21, शरद विहार, बी0टी0सी0 विकास नगर, एक्स0 दिल्ली 110092

सचिव
काफमो सहकारी आवास समिति लि.

सब रजिस्ट्रार प्रथम गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

SITE PLAN OF GROUP HOUSING PLOT OF

Mr/Mrs. ....काफमो सहकारी आवास समिति लि,............

Sector-3 Plot No. 3/SP-10 AT SIDDHARTH VIHAR YOJNA,GHAZIABAD.

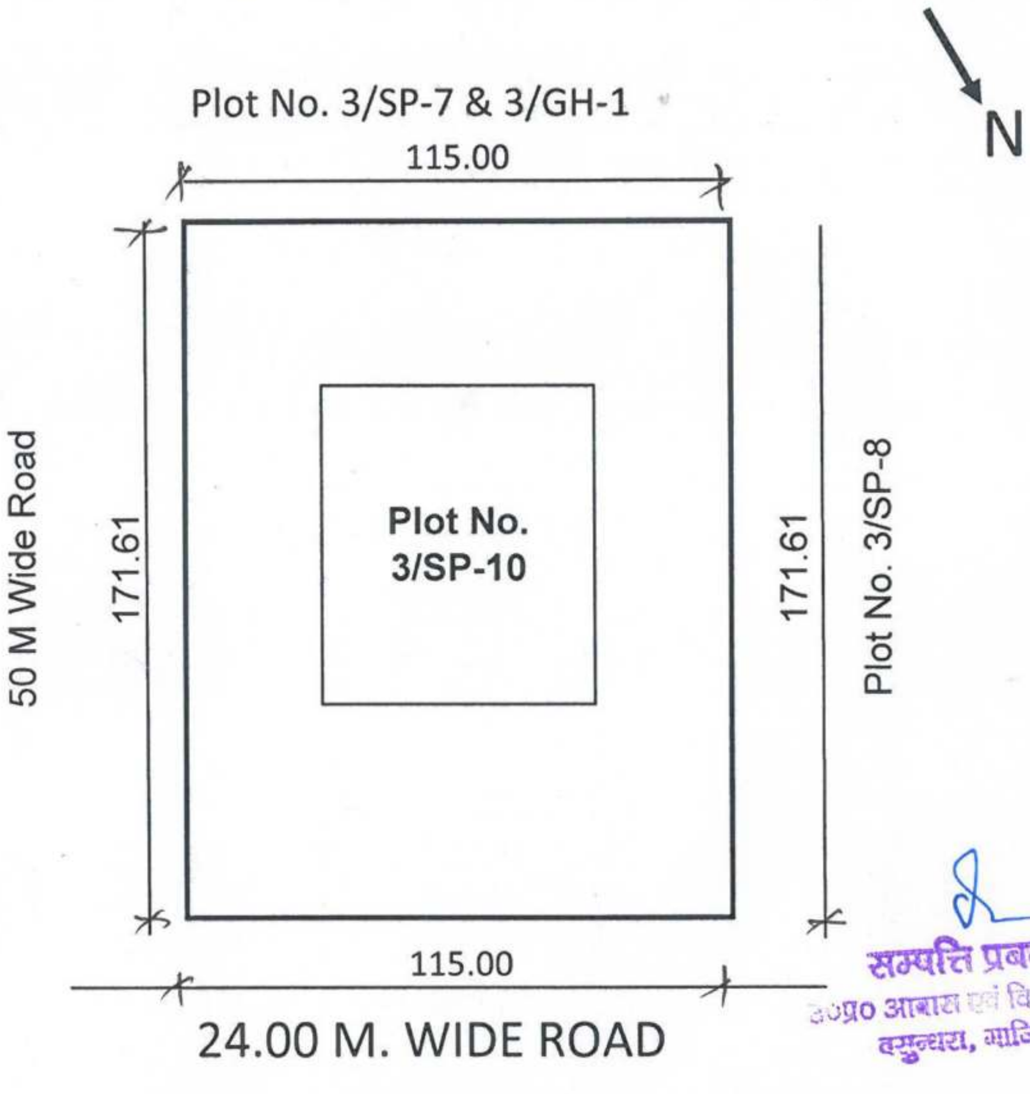

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

Plot Area:-19735.00 Sqm

काफमो सहकारी आवास समिति लि (सचिव)	D/MAN	J.E. 15/2/23	A.E

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, C.D. Gzb-03

U.P. AVAS EVAM VIKAS PARISHAD,

VASUNDHARA YOJNA, GHAZIABAD

सब रजिस्ट्रार प्रथम गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

फोन-कार्यालय : 0120-2882025
IS 15700:2005
सेवोत्तम प्रमाणित
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
सेक्टर-16ए, हॉल नं0-एस-1, वसुन्धरा काम्पलैक्स, वसुन्धरा
गाजियाबाद
भारतीय मानक ब्यूरो IS SQMS

पत्र सं0– /स0प्र0 गाजि0/ दिनांक– 03/03/23

सेवा में,
सब रजिस्ट्रार
गाजियाबाद।

विषयः– **परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–3 में आवंटित सोसाईटी भूखण्ड संख्या–3/एस0पी0–10 के विरूद्ध विकास शुल्क का किशत कय अनुअन्ध निष्पादन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद के अर्न्तगत सेक्टर–3 में **काफमो सहकारी आवास समिति लि0 गाजियाबाद जो उ0प्र0 सहकारी अधिनियम 1965 के तहत धारा–06 के अधीन गठित एक समिति है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 200 तृतीय तल, पाकेट–40, चितरंजन पार्क नई दिल्ली 110019 पर स्थित है, द्वारा संकल्प दिनांक 26.02.2023 के द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी समिति के अध्यक्ष श्री तोषिन्दर सिक्का पुत्र श्री श्याम सुन्दर सिक्का निवासी–21, शरद विहार, बी0टी0सी0 विकास नगर, एक्स0 दिल्ली 110092**के पक्ष में आवंटित सोसाईटी भूखण्ड का किराया किशत कय अनुबन्ध दो प्रतियों में संलग्न करके कर्मचारी के माध्यम से नियमानुसार पंजीकृत करने हेतु सेवा में प्रेषित किये जा रहे है।

संलग्नकः–1 स्टाम्प पेपर की मूल प्रति (स्टाम्प रू0–12588730.00) अनुबन्ध हेतु।
2 अनुबन्ध की छायाप्रति।

भवदीय

(सुनील कुमार शर्मा)
सम्पत्ति प्रबन्धक

पृ0सं0 1099 /उक्त दिनांक

प्रतिलिपिः– **काफमो सहकारी आवास समिति लि0 गाजियाबाद जो उ0प्र0 सहकारी अधिनियम 1965 के तहत धारा–06 के अधीन गठित एक समिति है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 200 तृतीय तल, पाकेट–40, चितरंजन पार्क नई दिल्ली 110019 पर स्थित है, द्वारा संकल्प दिनांक 26.02.2023 के द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी समिति के अध्यक्ष श्री तोषिन्दर सिक्का पुत्र श्री श्याम सुन्दर सिक्का निवासी–21, शरद विहार, बी0टी0सी0 विकास नगर, एक्स0 दिल्ली 110092** को इस आशय से कि सोसाईटी भूखण्ड का अनुबन्ध को 15 दिन के अन्दर रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) कराके छायाप्रति कार्यालय अभिलेख में रखने हेतु जमा करने का कष्ट करें।

03/3/23

सम्पत्ति प्रबन्धक

दफ्तर सब रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश

15 आवंटी परिषद के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करायेगें।

16 **सोसाईटी भूखण्ड** के निवेशकों/आवंटियों द्वारा अपने सदस्यो/ग्राहको को आवंटित भूखण्ड पर निर्मित सम्पत्ति की रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं होगा जब तक उनकी परिषद से पूर्ण देयता समाप्त नहीं हो जाती। परिषद के प्रति देयता समाप्त होने एवं निवेशक/आवंटी के पक्ष में परिषद की ओर से रजिस्ट्री होने पर ही निवेशक/आवंटी द्वारा ग्राहकों के पक्ष में रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा।

17 निवेशको (**सोसाईटी भूखण्ड** के आवंटी) द्वारा उपरोक्त देय भुगतान शिडयूल के अनुसार भुगतान न किये जाने की अथवा अनुबन्ध के प्रावधानों/शर्तो के उल्लंधन की दशा में परिषद को देय धनराशि को भू–राजस्व की भॉति धनराशि वसूल करने का अधिकार होगा।

18 आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष परिषद को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तक सम्पत्ति विक्रय द्वारा किसी प्रकार की वसूली का प्रथम अधिकार परिषद का होगा।

सचिव
काफमो सहकारी आवास समिति लि०

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

आवेदन सं०: 202300739020716

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9843 के पृष्ठ 247 से 268 तक क्रमांक 2773 पर दिनाँक 21/03/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ऋचा पाण्डेय .
उप निबंधक : सदर पंचम
गाजियाबाद
21/03/2023